

23-10-19

पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट आज न तो स्वयं
उपस्थित और न ही उसकी ओर से कोई वकील
न्यायालय में उपस्थित होये। रेस्पो. ने
न्यायालय डाला दिने गये कारण बताओ
नोटिस का जवान पत्रांक स्था. / 1059 दिनांक
9-10-19 द्वारा न्यायालय को प्रेषित किया।
रेस्पो. द्वारा जवाब में क्रॉस तथ्य उचित
प्रतीत होते हैं। अतः रेस्पो. के विरुद्ध जारी
नोटिस के तहत कार्यवाही समाप्त हो जाती
है। अपीलान्ट ने दिनांक 17-10-19 को राउ
फाउण्ड पेश कर अपील वापिस लेने का
निवेदन किया है जिससे जाहिर है कि अपीलान्ट
अपील में हागे कोई सुनवाई नहीं चाहता है।
अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती
है। आदेश की श्रुति मधु रिजॉर्ड के अदालत
मातहत को प्रेषित हो। पत्रावली फेसल
शुकाए होकर नम्बर से कल हो (संख्याद
तकमील जाफ़ा दारिबल दफ़तर हो।

K
(रवि जैन)

जिला कलेक्टर मुन्बुनू